

२०१५ की खनातक महाविद्यालय

127

शंकरगढ़

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्र : 2015-2016



प्रवेश विवरणिका

मूल्य रु. 30/- रु.

शासकीय स्नातक महाविद्यालय शंकरगढ़,

जिला-बलरामपुर-गुम्बानुजगंज (छ.ग.)



सन्न : 2015-2016

प्रवेशार्थीयों के लिए आवश्यक सूचना

- (1) शिक्षण सत्र दिनांक 16.06.2015 से प्रारंभ होगा।
- (2) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (3) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (4) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (5) महाविद्यालय परिसर में मोबाईल पूर्णत प्रतिवंधित।
- (6) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (7) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- (8) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड्डताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- (9) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक वाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (10) अवधान राशि (कॉशन मनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात् मनीआर्डर द्वारा संबंधित के पते पर भेजी जायेगी।

परिचय-

शासकीय स्नातक महाविद्यालय शंकरगढ़ प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर जिला बलरामपुर, रामानुजगंज मुख्यालय में स्थित है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन 2012 – 13 में की गई। यह सरगुजा अम्बिकापुर से संबंधि है। महाविद्यालय में तीन संकायों कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्यापन की व्यवस्था है। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र एवं भूगोल विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन शास्त्र वनस्पति एवं प्राणी शास्त्र के अध्यापन की व्यवस्था है।

विषय विवरण-

- सत्र 2014 – 15 में वी.ए. प्रारंभिक एवं वी.एस.सी. प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु विषयों समूह बनाये गये हैं एवं उसके अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ये समूह निम्न हैं – अनिवार्य – 1. आधार पाद्यक्रम 2. पर्यावरण अध्ययन वी.ए./वी.एस.सी./वी.काम प्रथम 2. वी.ए. प्रारंभिक – निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषय का चयन करें परन्तु साहित्यके दोनों विषय का एक साथ चयन मान्य नहीं है।
1. समाज शास्त्र 2. हिन्दी साहित्य 3. अंग्रेजी साहित्य 4. अर्थशास्त्र 5. भूगोल
 3. वी.ए.सी. प्रारंभिक (वायो समूह) 1. रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र
 4. कला/विज्ञान/वाणिज्य द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
 5. प्रथेक संकाय/कक्षा में उपलब्ध स्थानों की जानकारी –

कला संकाय

वी.ए. भाग एक	-	80
वी.एस. भाग दो	-	80
वी.ए. भाग दो	-	80
वी.ए. भाग तीन	-	80
विज्ञान संकाय		
वी.एस.सी. भाग एक	-	80
वी.एस.सी. भाग दो	-	80
वी.एस.सी. भाग तीन	-	80
वाणिज्य संकाय		
वी.काम भाग एक	-	80
वी.काम भाग दो	-	80
वी.काम भाग तीन	-	80

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

सन् 2015 – 16

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/असासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहायतित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा असासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेरटर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। यिहन्म कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पतल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेंगे। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायें।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मात्य होगी। केंडिका 5.1 (क)में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/ पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सक्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानानंतरण स्थान व में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है इसके बाद उसके पालक के अधिकारी जहां उसके पालक का अधिकारी थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानानंतरण होते होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2. पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अंतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पाप्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पाप्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संस्थाया का ठिर्धारण :-

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षाएँ में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं रस्टफार की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्ण में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीधी की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग में अनुमति प्राप्त होने पर ही वे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्थानालय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कोसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवकशन (अधिकतम 4 सेवकशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देकर ये हैं, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानानंतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करनी की अनुमति ही जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानानंतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानानंतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अंतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानानंतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानानंतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एक.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्ण प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानानंतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानानंतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित घोषीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिस्ट्रेशन / अनुशासन नहीं नियमानुसार प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे घोषीय रिपोर्ट को सीलवन्ड लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पाप्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल /स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदानुक्रम छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जन्म के कर्मचारी के विश्वासितों तथा उनके अंतिरिक्तों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षाकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से सा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पाप्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों द्वारा स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पाप्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी.प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पाप्रता होगी।

- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.-सी./बी.ए.एस.सी. एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.वाम./एम.एच.एस-सी./एम.ए.पूर्व एवं नियमित विषय लेकर, बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अंहकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अंहकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहाँ 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेफेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौरिसिल फार सेफेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटर्नेशनल बार्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य दोडों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसेंसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकान मान्य है। उसमानिया एवं काकीनी विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.कॉम. डायरेक्ट वन सिरिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दिलाई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बद्ध सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय सम्बूद्ध में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आद्यशक्त हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्राप्ति पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्राप्ति -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

7.3 विजात एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाच्छावी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नव्यवर तक, निर्धारित शुल्क लेकर नात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय से पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित प्लायेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त केंडिका 7 के खण्ड 1एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुर्तीर्ण प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निररत हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहीं भाना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाणण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश

- नहीं लिया है, के आधार पर ही निमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के बीच आरोप हो / वेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं होता हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रश्न नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़ - पोड़ करने और महाविद्यालय की संरप्ति को नष्ट करने वाले / रेंजिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच चरिएर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।
- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्ध में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रखेगी।
 (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के भवालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रयोजित व अनुशूलित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कानूनों के लिये दिवेश सरकार द्वारा अनुशृणित दिवेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा दिवेश से अध्ययन के लिये दिवेश सुना में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लायू नहीं होता।
 (ग) विधि संकाय के निन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष की छूट होती है। अनुसूचित जाति / अनु जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होती है।
 (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होती।
 (ड) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रखेगी। पूर्णाकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारात् कर्मचारी के उसकी देनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होती। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.5 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होती।

10. प्रवेश हेतु नुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निमानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
 (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा
 (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा क्रांत्रिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होती।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग - अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।
11. प्रवेश हेतु प्रार्थनिकता:-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / रसायनायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / रसायनायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के फले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एप्रील एप्रील एप्रील प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के सभी परीक्षण स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यायान की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अच्युत जिलों के सभी परीक्षण स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के सभी परीक्षण स्थान अथवा उत्तीर्ण विधि स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रायद्वान स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निमानुसार होगा :-

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमांक: 12% तथा 32% स्थान आरक्षित होगे। इन दोनों श्रेणी के स्थान आपस में परिवर्तनीय होने पर विषय की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जायेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पाँच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागी दारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चर्चा करेंगे।

- 12.2 पिछड़े वर्ग (यिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित पुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी को कोई उम्मीदादार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी और नए काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीढ़ी यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीढ़ी उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, जो यह संवर्ग की सीढ़ी भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान की प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभारः-

अधिभार मात्र मुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विद्यार्थी नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1	एन.सी.सी./एन.एस./स्काउटर्स	
	स्काउटर्स शब्द के स्काउटर्स /गाइड्स/रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।	
(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी.	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी.	03 प्रतिशत
	या द्वितीय सोपान उत्तरीय स्काउटर्स	
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तरीय स्काउटर्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(घ)	नई दिल्ली के गणतान्त्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस. कन्टेन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी यो	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउटर्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउटर्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	झूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी./एन.एस.एस. के भारत एवं विद्यालय संस्कृति एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये घ्यनित करने वाले विद्यार्थियों को लिए घ्यनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये घ्यनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2	आनंद विद्यवापाद्यक्रम में उत्तरीय विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तरी विद्यय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तरीय विद्यार्थियों को एल.एल.डी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	05 प्रतिशत
13.4	खेलकूद / साहित्यिक / गांरकृतिक / विवेज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-	
(१)	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च विद्यालय विभाग द्वारा आयोजित अंतर्र जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर्र संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रथयक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(२)	उपर्युक्त कंडिका 13.4 (१) में उल्लेखित विभाग /संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्रसभा गाराज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.ग्रु. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा सांसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रथयक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को	07 प्रतिशत
(ग)	रामभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(३)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युद्ध अथवा विजान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में घ्यनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

- 13.6** छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-
 (क) छत्तीसगढ़ /म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत
 (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.7** जम्मू कश्मीर के विद्यालितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन:-**
- छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./ खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड/ पश्चिमायाड/ स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रस्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगेर उणुक्कम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में रीच प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें प्राप्त है।
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवकों कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रापणित किया गया हो, एवं
 (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.9** प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रस्कूल रस्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमांक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। न्यातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 14. संकाय /विषय/ शृंख परिवर्तन :-**
- स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय/ शृंख परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तान्कों से 5 % घटाकर उनका मुपाक्रम निर्धारित किया जासेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तान्कों पर देय होंगा। महाविद्यालय में रनातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक वार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय /विषय/ शृंख परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतवर तक का विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर केंद्रिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी यह अनुमति उन्हें विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तान्क संबंधित विषय /संकाय की मूल उणुक्कम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।
- 15. शोध छात्र:-**
- शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुरोध सप्ताहांत्र प्राचार्य इस समयावधि को अधिकारत 4 वर्ष कर सकते। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करें। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्याकार सुपरवाईजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई विद्याकार्य यादि शोध छात्र के स्वप्न में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेरित उपस्थिति प्रामाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध छात्रका के वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्याकार सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अवश्यित किया जाया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अवस्थित करें।
- 16. तिथीष:-**
- 16.1** जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतीकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश भिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2** प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3** प्रवेश के बाद सत्र के दौरान केंद्रिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4** प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य औई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5** प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अपेक्षित लिखकर प्रेषित न किया जायें।
- 16.6** इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरस्त/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा। नोट - उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

प्रवेश समितियाँ 2015-16

प्राचार्य एवं संरक्षक- डॉ. ज्योति सिन्हा

शैक्षणिक स्टॉफ

डॉ. जी.आर.पाटले	-	वाणिज्य	-	सहा. प्राचार्य
पुनीत कुमार राय	-	हिन्दी	-	सहायक प्राध्यापक
शिवकांत इजारहार	-	अंग्रेजी	-	सहायक प्राध्यापक
कु. रश्मि पाण्डे	-	अर्थशास्त्र	-	सहायक प्राध्यापक

अशैक्षणिक स्टॉफ

कु.खपाजंली	-	प्रयोग शाला तकनीशियन
उमेश कुमार भगत	-	प्रयोग शाला तकनीशियन
श्रीमती सुषमा साहू	-	प्रयोग शाला तकनीशियन
श्री लेताफिनुस मिज	-	भृत्य

प्रवेश समितियाँ 2015-16

प्रवेश समिति

पुनीत कुमार राय	-	संयोजक
कु. रश्मि पाण्डे	-	सदस्य
श्रीमती सुषमा साहू	-	सदस्य
(वी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, प्रथम/द्वितीय वर्ष)		

एन्टी ईगिंग समिति

1. डॉ. जी.आर.पाटले	सहा. प्रा. वाणिज्य	संयोजक
2. शिवकांत इजारदार	सहा. प्रा. अंद्रेजी	सदस्य

अनुशासन समिति

1. डॉ. जी.आर.पाटल	संयोजक
2. कु. रश्मि पाण्डेय	सदस्य

क्रय समिति

1. पुनीत कुमार राय	संयोजक
2. रश्मि पाण्डे	सदस्य
3. शिवकांत इजारदार	सदस्य

युवा नतिविधि

1. पुनीत कुमार राय	संयोजक
2. शिवकांत इजारदार	सदस्य

रेडक्रास समिति

1. पुनीत कुमार राय	संयोजक
2. शिवकांत इजारदार	सदस्य

रेडक्रास समिति

1. पुनीत कुमार राय	संयोजक
2. शिवकांत इजारदार	सदस्य

सूचना का अधिकार समिति

1. कु. रश्मि पाण्डे	संयोजक
2. श्रीमती सुषमा साहू	सदस्य

लोक सेवा गारंटी अधिनियम

1. शिवकांत इजारदार	संयोजक
2. रुपाजंली	सदस्य

शासकीय स्नातक महाविद्यालय, शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-गंगज (छ.ग.)

प्रवेश आवेदन पत्र 2015-2016

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
अंग्रेजी के (बड़े अक्षरों में)
2. पिता का नाम
माता का नाम
जाति धर्म व्यवसाय
वार्षिक आय
3. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.
6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.
7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
विषय - 1..... 2.....
..... 3..... 4.....
8. अहताकारी परीक्षा का नाम
प्राप्तांक /पूर्णांक प्रतिशत
10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु बंधित हुए हैं ? यदि हॉं तो पूर्ण विवरण दे।

छात्र/छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईंज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करें

13. अहंताकारी परीक्षा:- (विंगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्ताक पूर्णाक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

14. सरगुजा विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो).....
15. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन.....
16. आवेदक सेवारत हो तो पढ़कार्यालय का नाम
17. सहोदर शुल्क मुक्ति का पात्रता हो तो -
सहोदर का नामप्रवेश की कक्षा
प्रवेश रसीद क्रमांकदिनांकराशि
(प्रवेश रसीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

- स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति).....
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति).....
- अहंताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....
- आ.ज./आ.ज.जा./पि.वर्च/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....
- छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति
(यदि आवश्यक हो तो)
- अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि).....
- जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
- गरीबीरेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचीपरांत अस्थायी प्रवेश की

अनुशंसा की जाती है दिनांक तक

प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा ।

प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-

शासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

अशासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

दिनांक

शुल्क लिपि

आवेदक द्वारा प्रतिश्ना

मैं ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिश्ना करता / करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आग नहीं लूँगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता / करती रहूँगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा। तो मैं तुरन्त सूचना दूँगा / दूँगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मेरे विस्तृद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विस्तृद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या इकाई, त्रैमासिक एवं अद्वार्वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से बंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम) द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैनिकी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

पावती

छात्र/छात्रा का नाम कक्षा

फार्म क्रमांक दिनांक को प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

इस आवेदन की ग्रांथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रांथालय), प्राचार्य

शासकीय स्नातक महाविद्यालय, शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-ग.गंज (छ.ग.)

ग्रांथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2015-16

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....

कक्षा.....

पिता श्री.....

विषय/संकाय.....

सेवारत.....

प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....

अशासकीय.....

दिनांक.....

वर्तमान पता:- मकान नं.....

वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर.....

थाना.....

तहसील.....

पोस्ट ऑफिस.....

जिला.....

पिन कोड.....

फोल नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

स्थायी पता:- मकान नं.....

वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर.....

थाना.....

तहसील.....

पोस्ट ऑफिस.....

जिला.....

पिन कोड.....

फोन नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

मैं.....

आत्मज.....

कक्षा.....

सेवसन.....

सत्र.....

मैं.....

विषय में प्रवेश प्राप्त किया

हूं। मैं ग्रांथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता / चाहती हूं।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधिश हूं। ग्रांथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनबद्ध हूं। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करनी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करना/करनी।

पुस्तक/पुस्तके स्वच्छ/साफ़-सुधार रखनी। विद्वप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक घर सहित राशि जमा करना/करनी।

नियमानुसार पुस्तके प्राप्त कर उक्के कर घर ले जाऊंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रांथालय की पूर्ण पुस्तकें नहीं हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
**पिता/पालक द्वारा
भरा जावे**

आत्मज श्री.....

अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री /पात्नी/पात्न्या.....कक्षा.....
ग्रन्थालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से
रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थान:-.....

पूरा नाम.....

दिनांक.....

मकान नम्बर.....

वार्ड.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट ऑफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं.....

मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

ग्रन्थपाल

ईंगिंग दण्डनीय अपराध हैं

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाए रखें